कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः– 1629 / 12-1 देहरादूनः दिनांकः 16 फरवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत नैनी से ग्राम क्वैराली तक मोटर मार्ग का निर्माण 1.4175 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/50231/2020)।

सन्दर्भ :– भारत सरकार की पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/53/2022/एफ0सी0/612 दिनांक 27.07.2022

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 27.07.2022 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2469/12–1 (2) दिनांक 07.02.2024 द्वारा बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

| क्र0सं0 | आपत्ति | निराकरण |
|---|---|---|
| 1. | The proposal involves felling of 61 trees in the proposed 9 m road width. The aim of the proposed road is to provide connectivity to one villege having the population of 240. Which can be done even after reducing the road width upto 5 or 6m. The state Government is requested to review the same and minimize the number of trees proposed to be felled. | प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की गणना 5 व 6 मी0 चौडाई मे कर ली गयी है। जिसमें कम वृक्ष प्रभावित हो रहे है। जिसका विवरण पार्ट–I व पार्ट–II में अपलोड कर ली गयी है। (संलग्नक–01) |
| 2. | The location of the villages to be benifited by the proposed road are not marked on the KML file. Accordingly, the state Govt. is requested to mark the location of concern villages in the KML file uploaded in the online portal. | प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्राम क्वैराली के0एम0एल0 में चिन्हित कर ऑनलाईन पार्ट– I के सेक्शन सी में अपलोड कर दिया गया है। |
| 3. | The villages is locted with in 500m from the existing road. Therefore, the State Govt. is requested to clarify the need of the proposed road in view of existing norms mentioned in the IRC for hill roads. | प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि के अनुसार मुख्य मार्ग से 500 मी0 की दूरी तक के ग्राम जुडे हुए माने जाते है। यह प्रस्तावित मार्ग मुख्य मार्ग से काफी दूरी पर स्थित है। जिस कारण बूडे–बुजुर्गो एवं बीमार व्यक्तियों को मुख्य मार्ग तक लाने ले जाने हेतु वर्तमान में डोली इत्यादि का प्रयोग ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। इस प्रस्तावित मार्ग के बन जाने से बच्चों, बुजुर्गो एवं बीमार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने हेतु सुविधा प्राप्त होगी। |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | NPV is calculated at older rates. State Govt. is requested to submit/upload NPV calculation sheet as per the new rates. | प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि NPV की संशोधित दर संलग्न प्रेषित है। **(संलग्न–02)** |
| 5. | A road already exists on the downward side of the village. Hence the State Govt. is requested to submit the comments of user Agency on the fesibility of connecting the existing the road from the most appropriate point on the existing road, thus reducing the number of the trees affected and the requirement of forest area. | प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामो के नीचे एक अन्य पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा निर्मित मार्ग स्थित है। पी0एम0जी0एस0वाई0 के द्वारा निर्मित मार्ग से उक्त ग्राम को मोटर मार्ग प्रस्तावित करने से प्रस्तावित मोटर मार्ग में अत्यधिक हेयरपिन बैण्ड आयेंगे एवं अधिक भूमि का कटाव होगा। प्रस्तावित समरेखन तकनीकी, आर्थिक एंव जनता की सुविधा के दृष्टिगत प्रस्तावित मार्ग का समरेखन उपलब्ध है। |
| 6. | The Proposed alignment and the alternate alignment end at different points. It is requested to the State Govt. to do the necessary correction in the alternate alignment. | प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग की स्वीकृति लम्बाई 3.00 किमी0 है। प्रस्तावित मार्ग मुख्य मार्ग से मात्र 2 किमी0 में ही जुड रहा है। साथ ही ग्रामवासियो को मोटर मार्ग की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए प्रस्तावित समरेखन को 2 किमी0 में ही सिमित कर दिया गया है। वैकल्पिक समरेखन की लम्बाई 3 किमी0 है, जिसके कारण अत्यधिक वृक्षों के पातन के दृष्टिगत उक्त समरेखन को निरस्त किया गया है। **(संलग्न–03)** |

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

**संलग्न–यथोपरि।**

**भवदीय,**

**(आर0के0 मिश्र)**
**प्रमुख वन संरक्षक,**
**एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।**

**संख्या** 1629 **/ 12-1 तद्दिनांकित।**

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

**(आर0के0 मिश्र)**
**प्रमुख वन संरक्षक,**
**एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।**